

# FORM No. III

APP-A  
Form-1

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/112

न अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मुकाम - सवाई माधोपुर

वकील/कांते

वनाम




देवीसिंह वगैरे

म मुकदमा

222/2022

मुकदमा नं.

66/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14/09/22	<p>अपी. ए. उ. फ. / अपील वाद जॉय रिपोर्ट लोक प्रसूत डी। अपील सल्लेक्ट डू लिमिटेड डी रजिस्टर्ड डी रेंचो. लो सभन जारी डी तहत रिपोर्ट तलब डी अपील के पार 96 ए. ए. का प्रार्थना पत्र प्रसूत डी पत्रावली वाले बहू प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.22 को जैय कोत. गोंगापुट लिटी पेश डी</p> 	<p>सभन 605 04/10/22 जैय 606 04.10.22</p>
14/10/22	<p>पीठरीन आदेश का फर्द अहकाम जारी कर डी पत्रावली पुनर्पुनार दिनांक 09.11.22 को पेश डी</p>  <p>राजस्व अपील प्राधिकारी</p>	
09/11/22	<p>पत्रावली वाले जल धारा 96 CPC के फेर डी अपील जल डी नाले आदेश 22.11.22 को पेश डी</p>	
02/11/22	<p>पत्रावली वाले 96 CPC की जल जल आदेश हेतु फेर डी आदेश आदेश द्वारा जल ए. ए. ए. पर गनन रिना गनन रेडि ए. अदालत भारत के निर्णय का अहकाम रिना गनन रिना रेडि रेडि</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी, सर्वाई माधोपुर

उनवान.....

लक्ष्मी राव

बनाम.....

श्री श्री

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

कलचे पर पापा गया रि वारे गाम चूली  
तहसील गजापुर के ख. न. 36 में अपील  
का 05/17 दिस्स का दर्ज खाते पर कागजात  
दु जमखी खत 100-13 के अनुसार ।  
पश्चु बाद में अपील को पहाड़ पर ली  
पनाम गना अपील के इति विधीय  
शायतेरत ख. न. 36 का दर्ज खाते के अनुसार  
कागजात है। अतः प्रथम इच्छा प्रथम में  
है। हित प्रमाणों से रखा है। अतः न्याय  
हित में धारा 96 CIE प्रमाणों से  
दिखाया है।

अतः आदेशों के अनुसार  
सागे हल करते हुए प्रथम दिने  
अदालत माहल के प्रथम संख्या 114/20  
वउतवान देवीलाल कोर्ट परान महुडुपा  
कोर्ट में उनके द्वारा एर एक अन्य  
केपील अतः अदालत राजस्व अपील  
प्राधिकारी लखड़ी माधोपुर संख्या नं 63/2022  
वउतवान रामलाल को बनाम देवीलाल  
की अर्ज अर्चिम डिप्टी की अपील में  
केपील लीट का Remand की गई है।  
अतः इसी आधार पर पछली में  
दिना नोटिस जारी किए Remand  
वर्क के आदेश जारी कर दिया जो  
उत्तरे अतः न्यायालय राजा की  
अपील संख्या 63/2022 अदिपेडा  
आदेश दिनांक 27.9.22 की

राजस्व अपील प्राधिकारी,

उनवान.....

लक्ष्मी राव

बनाम.....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रमाणित प्रति फेर ही। अतः  
कल पर मनन  
रेखी का अक्लौडन विना  
अदालत राजस्व अपील  
माधोपुर के अपील लेख  
वउतवान रामलाल को  
ही प्रमाणित प्रति का अक्ल  
अक्लौडन में  
उपयुक्त विधि अपील व  
अदालत माहल उपखण्ड  
सिटी के प्रथम संख्या 1  
डिप्टी दिनांक 4.3.20 के  
गर्ज ही अर्जि इल आले  
वे किहू न्यायालय राजा  
अपल्या का Remand  
अतः प्रथम  
विषय वस्तु समान होने  
न्यायालय राजा द्वारा  
63/2022 वउतवान रामलाल  
में अदालत माहल का नि  
को निस्स अर्पण  
दिना गवा है। इसी नि  
में न्यायालय का अक्ल  
अदालत माहल की पत्र  
व रेखांकित को त  
अदालत माहल का नि  
4.3.2020 को अर्पण  
Remand किए जान



राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.....लक्ष्मी रात.....बनाम.....देवी रात

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः अपील अपीलकर्ता अर्थात् लक्ष्मी रात  
अधीनस्थ अडालत उपखण्ड अधिकारी गंगापूर  
मिती के प्रत्यय संख्या 114/15 निर्णय न  
डिजी दिनांक 43.2020 को अपीलकर्ता  
इन निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया  
जाता है कि प्रत्यय में अपीलकर्ता की  
विद्यमान पुनर्वाही का अर्थ है कि  
पुनः नए लिए से निर्णय प्राप्त हो  
को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता  
माहलत उपखण्ड अधिकारी गंगापूर मिती  
में दिनांक 30/12/20 को उपखण्ड लघु अपील  
निर्णय से अडालत अर्थात् पुनः अपील  
प्रवर्धनी मालत मुमल सेन के अर्थ  
दखल है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई म

उनवान.....बनाम.....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज